UPSI010015172026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0 3, सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–36/2026

सी०आई०एस०नं०–681/2026

इरफान खान आयु 46 वर्ष पुत्र समीउल्लाह खां, निवासी ग्राम चक जोशी, मजरा नवीनगर, थाना लहरपुर, जिला सीतापुर।

----- **अभियुक्त**

बनाम

सरकार -----**अभियोजन**

मु० अ० सं०– 235/2024
धारा– 2/3 यू० पी० गैंगस्टर एक्ट
थाना–लहरपुर, जिला सीतापुर।

निस्तारण द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र

1. अभियुक्त इरफान खान की ओर से मु०अ०सं०–235/2024, धारा– 2/3 यू०पी० गैंगस्टर एक्ट, थाना लहरपुर, जिला सीतापुर के प्रकरण में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 21.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा मय पुलिस कर्मचारीगण थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अपराधी से मय अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट गैंगलीडर आसिब खां, इजरा उर्फ इजराईल, इरफान खां, मोइस उर्फ नेउरे, मुनीस उर्फ मूसे, जसीम खां उर्फ कलरे, नईमुल्ला जोकि काफी दिनों से स्वयं अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के लिए मारपीट करने के अभ्यस्त अपराधी हैं, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में मुकदमें के आधार पर गैंगेस्टर की कार्यवाही करते हुए गैंगचार्ट श्रीमान जिलाधिकारी सीतापुर के समक्ष भेजा गया था। उक्त गैंगलीडर द्वारा व अपने सदस्यों के द्वारा कोतवाली लहरपुर क्षेत्र में दिनांक 11.02.2023 को ग्राम नौव्वापुर वादी के खेत में जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में मु०अ०सं०–106/2023 धारा 307/504 भा०दं०सं० थाना लहरपुर में पंजीकृत किया गया तथा मु०अ०सं०–651/23 धारा 147,148,325,504,323,506 भा०दं०सं० कोतवाली लहरपुर में दिनांक 22.10.2023 को मारपीट करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया। इन लोगों का समाज में इतना भय व आतंक व्याप्त है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। इनका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए हितकर नहीं है। गैंग चार्ट जिला अधिकारी सीतापुर द्वारा अनुमोदित है। इनके विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 2/3

उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

3. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त गैंगस्टर वाद में इरादतन वादी द्वारा झूठे तौर पर नामित कर दिया गया है जबकि उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है और न ही कोई संलिप्तता गैंगस्टर कानून संबंधी है। प्रार्थी/अभियुक्त इरफान खांन पूरे घटनाक्रम की मुख्य घटना में स्वयं पीड़ित पक्ष है एवं स्वयं चोटहित गवाह है और विपक्षी पक्ष के व्यक्तियों द्वारा गंभीर रूप से घायल किया गया था जिसका इलाज लखनऊ ट्रॉमा सेंटर तक चला एवं एक प्राइवेट अस्पताल लखनऊ में पूर्ण रूपेण इलाज कराने के बाद उसको बचाया जा सका था। दोनों पक्षों में एक ही जमीन को लेकर पूर्व से दीवानी वाद और फिर अभियुक्त इरफान पर हमला कर चोटहिल किए जाने उपरांत प्रथम मुकदमा अभियुक्त इरफान की ओर से बतौर वादी मुकदमा शरीफ द्वारा लिखाया गया था। यह मुकदमा अन्तर्गत धारा 308, 323, 504, 506 भा०दं०सं० मुकदमा अपराध सं० 438/22 थाना लहरपुर जिला सीतापुर जो कि मौजूदा समय में अपर जिला सत्र न्यायालय सं० 5 के समक्ष लंबित है। उसका कोई भी विवाद गांव में गांव के बाहर किसी भी अन्य व्यक्ति से न कभी हुआ है न ही मौजूद समय में कोई विवाद है। पीड़ित पक्ष इरफान के सगे भाई शरीफ की पत्नीके नाम पर खेती की जमीन खरीदी गयी थी रजिस्टर्ड बैनामा दर्ज हुआ था जिसमें नामांतरण की प्रक्रिया के मध्य विपक्षी शफीक द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गयी थी जिसका दीवानी वाद काफी समय से चल रहा है। मूल वाद अ०सं० 106/23 अन्तर्गत धारा 307, 504, 147 आई०पी०सी० में माननीय उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना स्वीकृत हो गयी है तथा प्रार्थी मौजूदा वाद में कुी लंबे समय से दिनांक (दिनांक 30 अप्रैल 2024 से) जेल में निरूद्ध है जिसके दृष्टिगत माननीय न्यायालय से निवेदन है कि निराधार दर्ज मौजूदा गैंगस्टर वाद में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जाये तथा जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की परिस्थिति में प्रार्थी जमानतदार प्रस्तुत करने को तत्पर है। उक्त वाद में अभियोजन साक्षियों पर प्रभव नहीं डालेंगे एवं वाद के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करने को तत्पर हे। सह अभियुक्तगण आसिफ, शीबू, इजरा एवं मोइस खांन का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। उसकी ओर से उपरोक्त गैगेस्टर वाद में मौजूदा जमानत प्रार्थना पत्र समक्ष न्यायालय द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है चूंकि पूर्व में उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र बल ना दिये जाने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा तद्नुसार निरस्त किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त गैंगस्टर वाद में न तो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और न ही दायर ही किया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4. जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कहा गया है कि मु०अ०सं०–438/2022 धारा 308, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–849/2022 दारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भा०दं०सं० में सुलह लगाने के उद्देश्य से एक अपराध संख्या–106/2023 अन्तर्गत धारा 307, 504, 147 भा०दं०सं० फर्जी रूप से थाने पर दर्ज करा दिया गया, जिसके आधार पर उसके विरूद्ध बिना किसी साक्ष्य के गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही को कायम कर दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त को गैंग का सदस्य होना तथा गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध एक मात्र मु०अ०सं०–106/2023 धारा 307/504 भा०दं०सं० थाना लहरपुर जनपद सीतापुर के मुकदमा पंजीकृत होना दर्शाया गया है तथा उसी मुकदमें के आधार पर अभियुक्त पर गैंगेस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है। जिसके बचाव पक्ष के तर्कों को प्रर्याप्त बल प्राप्त होता है। पत्रावली पर अभियुक्त का ऐसा कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है, जिसे जमानत दिया जाना समाज के लिए अहितकर हो। इसके लिए अभियोजन की ओर से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ दुनियाबी लाभ प्राप्त किया गया हो अथवा इसलिए इसके लिए अपराध किया गया हो। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र बल न दिये जाने के कारण पूर्व में निरस्त कर दिया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.04.2024 से जिला कारागार सीतापुर में निरूद्ध है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थना–पत्र में अभियुक्त की ओर से दिये गये तर्क को विचार में रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त इरफान की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उसके द्वारा मु० एक लाख रूपये का निजी बन्ध–पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाये कि अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा और गवाहान को प्रभावित नहीं करेगा।

(अवनीश कुमार–I)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं–3, सीतापुर।
J.O.Code UP02737

दिनांक–12.03.2026

पंकज/–

Awanish Kumar

Digitally signed by Awanish Kumar
Date: 2026.03.16 17:11:13 +05'30'